कार्यालय मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी, मानसरोवर, जयपुर
मकान नं. 34/50, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर दूरभाषः 394254
रजिस्ट्रेशन नं. 480/1999-2000

क्रमांक : 1-4 दिनांक : 20.12.99

सेवा में,

श्रीमान् मुख्य मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय : मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड कोलोनी में मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद,
कब्रिस्तान एवं मदरसे हेतु भूमि आवंटन कराने बाबत।

निवेदन है कि मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड कोलोनी में मुस्लिम समुदाय के लगभग 1500 व्यक्ति निवास करते हैं, जिसमें अधिकतर किरण पथ के आस–पास रहते हैं। मानसरोवर कोलोनी में मस्जिद, मदरसा व कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं होने के कारण मुसलमानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामनाकरना पड़ रहा है। यहां के निवासियों को नमाज पढ़ने के लिये 7–8 कि.मी. दूर जाना पड़ता है और किसी व्यक्ति का इन्तकाल होने पर 14–15 कि.मी. दूर जयपुर शहर में मैय्यत (मुर्दे) को दफनाने के लिये जाना पड़ता है। जबकि इस कोलोनी में अन्य समुदाय (हिन्दू, सिख, ईसाई, जैन) धर्मावलम्बियों को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से मन्दिर, गुरूद्वारा, गिरजाघर के लिये भूमि आवंटित की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा कई बार हाउसिंग बोर्ड को लिखा जा चुका है किन्तु अभी तक कोई प्रगति नहीं हो पाई है।

अतः विनम्र निवेदन है कि मानसरोवर के मुस्लिम समुदाय को मस्जिद, मदरसा व कब्रिस्तान के लिये निम्न प्रकार भूमि राजस्थान आवासन मण्डल से आवंटन कराने के निर्देश प्रदान करने की महरबानी करें –

1. मस्जिद हेतु भू–खण्ड40 X 25 वर्ग मीटर
2. मदरसा हेतु भू–खण्ड40 X 25 वर्ग मीटर
3. कब्रिस्तान हेतु भू–खण्ड 250 X 250 वर्ग मीटर